भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 332
उत्तर देने की तारीख: 24.06.2019

प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश हेतु आयु का मानदंड

332. श्री कनकमल कटाराः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु को बढ़ाने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का छोटे बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार पूर्व-नर्सरी विद्यालयों को प्रतिबंधित करने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) : जी, नहीं।
(ख) : प्रश्न नहीं उठता।
(ग) : जी, नहीं।
(घ) : सरकार पूर्व-नर्सरी स्कूलों जो छोटे बच्चों में व्यवहार में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, को प्रतिबंधित करने के लिए प्रस्ताव नहीं कर रही है। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 11 में उल्लेख है कि तीन वर्ष से अधिक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करने और सभी बच्चों को उनके छ: वर्ष की आयु पूर्ण करने तक प्रारंभिक बाल देखरेख और शिक्षा के लिए संबंधित सरकार ऐसे बच्चों के लिए पूर्व-स्कूल शिक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकती है। शोध और अनुभव ने हमेशा दर्शाया है कि प्रारंभिक बाल विकास और शिक्षा प्राथमिक स्कूलों में न केवल बच्चों के विकास और उपलब्धि को बढ़ाती है और भविष्य की शिक्षा और विकास के लिए आधार बनाती है बल्कि सीखने की सकारात्मक सोच और इच्छा को भी विकसित करती है। अत: बच्चों को गुणवत्तायुक्त पूर्व-स्कूल अनुभव प्रदान करना महत्वपूर्ण है। समग्र शिक्षा के तहत, पूर्व-स्कूल कार्यक्रम 2 वर्ष की अवधि तक का होता है जो 4-6 आयु वर्ष समूह के बच्चों के लिए है जो बच्चों को प्राथमिक स्तर पर प्रारंभ होने वाली औपचारिक स्कूल शिक्षा के लिए तैयार करता है।

*****